# कार्यालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

सहायता अनुभाग रूम नं 12 कलक्ट्रेट सभा

email Id- oicreliefswm@gmail.com

क्रमांकः– सहा./बाढ़/क्षति.परि/2024/1425 दिनांकः– 24.09.2024

## प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 में बाढ़ /अत्यधिक वर्षा से जल संसाधन विभाग सवाई माधोपुर के क्षतिग्रस्त बांध/नहरों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनःस्थापना हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों व आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक एफ.8(8)आ.प्र. एवं सहा/बाढ़/प्रस्ताव/2024/RAJKAJRef10507319 दिनांक 14.09.2024 के अनुसार बाढ़/अत्यधिक वर्षा से हुई क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु कुल 07 कार्यो हेतु राशि रूपये 17.46 लाख (सत्रह लाख छीयांलीस हजार रूपये मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई है, की पालना में निम्नांकित कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट मद 2245–02–122–02–01 के उपमद 21 से किया जावेगा।

| क्रम संख्या | क्षतिग्रस्त स्कीम (बांध/नहर/अन्य) का नाम | क्षतिग्रस्त परिसम्पति का विवरण (लघु/मध्यम /वृहद परियोजना) | स्कीम का विवरण मय लोकेशन | नहर/बांध की लम्बाई | लघु परियोजना हेतु प्रति स्कीम 2.00 लाख एवं तटबंधो हेतु 60 हजार प्रति कि. मी. | कुल अनुमानित राशि (लाखों में ) | जल संसाधन विभाग सवाई माधोपुर उपखण्ड का नाम | कार्य कारी संस्था/संस्था अधिकारी का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मूई बांध | लघु | मुई बांध तहसील सवाई माधोपुर से 15 कि.मी. | कैनाल बैक क्षतिग्रस्त | 2.00 | 2.00 | ब्लॉक चौथ का बरवाडा | श्री अरूण शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग खण्ड सवाई माधोपुर |
| 2 | पांचोलास बांध | लघु | पांचोलास बांध तहसील सवाई माधोपुर से 22 कि. मी. | कैनाल बैक क्षतिग्रस्त | 2.00 | 2.00 | | |
| 3 | गलाई सागर बांध | लघु | गलाई सागर बांध तहसील खण्डार से 3 कि.मी. दूर | बांध एवं नहर पर रेनकट | 2.00 | 2.00 | ब्लॉक खण्डार | |
| 4 | सांवटा एम.आई.टी. | लघु | सांवटा एम.आई.टी. तहसील खण्डार से 16कि. मी. दूर | बांध के डाउन स्ट्रीम में रेनकट | 2.00 | 2.00 | | |
| 5 | पीपल्दा एम.आई.टी. | लघु | पीपल्दा एम.आई.टी. खण्डार से 14 कि.मी. दूर | बांध के डाउन स्ट्रीम में रेनकट | 2.00 | 2.00 | | |
| 6 | भगवतगढ़ बांध | लघु | तहसील सवाई माधोपुर से 20 कि.मी. दूर | बांध की पाल में रेनकट | 2.00 | 2.00 | ब्लॉक सवाई माधोपुर | |
| 7 | भगवतगढ़ बांध की नहर | लघु | तहसील सवाई माधोपुर से 20 कि.मी. दूर | 0.00से 09.11 कि.मी. कैनाल बैक क्षतिग्रस्त | 0.60 | 5.46 | | |
| | योग | | | | | 17.46 | | |

1. स्वीकृत राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा निर्देश, तत्संबंधी नियम /निर्देश व निर्धारित प्रकिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूरी जिम्मेदारी होगी कि वे एस.डी.आर.एफ. में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करे।
3. वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही मरम्मत कार्य प्रारंभ किये जावें। यदि बजट आवंटन से पूर्व कोई कार्य प्रारंभ कर लिया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित कार्यकारी ऐजेन्सी की होगी।
4. वे कार्य जो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड के तहत आते है उनके मरम्मत एसडीआरएफ से देय नही है।
5. स्वीकृत कार्यो को प्रारंभ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर –अंदर पूर्ण करना होगा।
6. यदि विभागीय बजट में संधारण एवं मरम्मत मद में कोई राशि उपलब्ध है तो उसके पूर्ण उपयोग के बाद ही एस.डी.आर.एफ. में स्वीकृत राशि का उपयोग किया जावेगा। उक्त आशय का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भिजवाया जावे।
7. कार्यो की तकनीकी स्वीकृति विभागीय नियमों के अनुसार जारी कर तकनीकी स्वीकृति एवं तकमीना की एक प्रति 3 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
8. तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही कार्यो की वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी। वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ कराये जावे।
9. मरम्मत कार्यो का निरीक्षण भी उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किये जाने के उपरांत ही भुगतान किया जावेगा।
10. स्वीकृत कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने है व आंवटित राशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना है
11. तात्कालिक मरम्मत के कार्यों से संबंधित देनदरियां आगामी वित्तीय वर्ष में ले जाने पर उनका भुगतान कार्यकारी संस्था द्वारा स्वयं के बजट मद से किया जावेगा।

12. विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।

13. इस आशय का प्रमाण–पत्र भिजवावें की प्रस्तावित नहरें/बांध का उपयोग सिंचाई/पेयजल कार्यों एंव जनसेवाओं के लिए निरंतर लिया जा रहा है।

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर
दिनांकः– 24.09.2024

क्रमांकः– सहा./बाढ़/क्षति.परि/2024/2426–31

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर।
3. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि तकनीकी स्वीकृति 3 दिवस में जारी की जाकर मय तकमीना इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।
4. उप जिला कलेक्टर, समस्त सवाई माधोपुर।
5. तहसीलदार समस्त, सवाई माधोपुर।
6. जिला जनसम्पर्क अधिकारी सवाई माधोपुर।

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

# कार्यालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

सहायता अनुभाग रूम नं. 12 कलक्ट्रेट सभा
email Id-oicreliefswm@gmail.com

क्रमांकः– सहा./बाढ़/क्षति.परि/2024/ 3404 दिनांकः– 25.10.2024

## वित्तीय स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 में बाढ /अत्यधिक वर्षा से जल संसाधन विभाग सवाई माधोपुर के क्षतिग्रस्त बांध/नहरों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनःस्थापना हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों व आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक एफ.8(8)आ.प्र. एवं सहा/बाढ/प्रस्ताव/2024/RAJKAJRef10507319 दिनांक 14.09.2024 के अनुसार बाढ/अत्यधिक वर्षा से हुई क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु कुल 07 कार्यो हेतु राशि रूपये 17.46 लाख (सत्रह लाख छीयांलीस हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन विभाग सवाई माधोपुर द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी करने के उपरांत उक्त कुल 07 कार्यों हेतु राशि रूपये 17.46 लाख (सत्रह लाख छीयांलीस हजार रूपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट मद 2245–02–122–02–01 के उपमद 21 से किया जावेगा।

| क्रम संख्या | क्षतिग्रस्त स्कीम (बांध/नहर/अन्य) का नाम | क्षतिग्रस्त परिसम्पति का विवरण (लघु/मध्यम/वृहद परियोजना) | स्कीम का विवरण मय लोकेशन | नहर/बांध की लम्बाई | लघु परियोजना हेतु प्रति स्कीम 2.00 लाख एवं तटबंधो हेतु 60 हजार प्रति कि.मी. | कुल अनुमानित राशि (लाखों में) | जल संसाधन विभाग सवाई माधोपुर उपखण्ड का नाम | कार्य कारी संस्था/संस्था अधिकारी का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मूई बांध | लघु | मुई बांध तहसील सवाई माधोपुर से 15 कि.मी. | कैनाल बैक क्षतिग्रस्त | 2.00 | 2.00 | ब्लॉक चौथ का बरवाडा | श्री अरूण शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग खण्ड सवाई माधोपुर |
| 2 | पांचोलास बांध | लघु | पांचोलास बांध तहसील सवाई माधोपुर से 22 कि.मी. | कैनाल बैक क्षतिग्रस्त | 2.00 | 2.00 | | |
| 3 | गलाई सागर बांध | लघु | गलाई सागर बांध तहसील खण्डार से 3 कि.मी. दूर | बांध एवं नहर पर रेनकट | 2.00 | 2.00 | ब्लॉक खण्डार | |
| 4 | सांवटा एम.आई.टी. | लघु | सांवटा एम.आई.टी. तहसील खण्डार से 16कि.मी. दूर | बांध के डाउन स्ट्रीम में रेनकट | 2.00 | 2.00 | | |
| 5 | पीपल्दा एम.आई.टी. | लघु | पीपल्दा एम.आई.टी. खण्डार से 14 कि.मी. दूर | बांध के डाउन स्ट्रीम में रेनकट | 2.00 | 2.00 | | |
| 6 | भगवतगढ़ बांध | लघु | तहसील सवाई माधोपुर से 20 कि.मी. दूर | बांध की पाल में रेनकट | 2.00 | 2.00 | ब्लॉक सवाई माधोपुर | |
| 7 | भगवतगढ़ बांध की नहर | लघु | तहसील सवाई माधोपुर से 20 कि.मी. दूर | 0.00से 09.11 कि.मी. कैनाल बैक क्षतिग्रस्त | 0.60 | 5.46 | | |
| | योग | | | | | 17.46 | | |

शर्तें:–

1. कार्यकारी ऐजेन्सी द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति अनुसार ऊपर वर्णित कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।
2. कार्य प्रारंभ कराने से पूर्व उपखण्ड स्तरीय समिति की निगरानी में कराये जाने वाले कार्यों की विडियोग्राफी एवं जीपीएस फोटोग्राफी कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. स्वीकृत राशि का उपयोग कार्यकारी ऐजेन्सी की वित्तीय शक्तियां PW & FAR And RTPP के नियमों के अनुसार मान्य होगी।
4. कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी करने के उपरान्त ही क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की (नहरें/बांध) मरम्मत कार्य का संबंधित संवेदक को कार्यादेश प्रदान कर कार्यादेश जारी करने की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें एवं संवेदक को जारी किये गये कार्यादेश की प्रति इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. यदि संवेदक द्वारा कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जाता है तो उसको किये जाने वाले भुगतान से विलंब शुल्क (LD) की कटौती नियमानुसार की जावे।
6. संवेदक के बिलों से राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के नियमानुसार आवश्यक कटौतियां जैसे जीएसटी, आयकर, रॉयल्टी, एसडी, लेबर सेस आदि किया जाना सुनिश्चित करें।

7. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् बिल उपखण्ड स्तरीय समिति से प्रमाणिकरण एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारी, कार्यकारी संस्था के तकनीकी अधिकारी एवं स्थानीय निर्वाचित जन प्रतिनिधि के द्वारा सत्यापन कराया जाकर जीपीएस फोटोग्राफी व विडियोग्राफी के साथ प्रस्तुत करें। साथ ही संवेदक का पेन कार्ड, जीएसटी नंबर, बैंक खाता संख्या विवरण भी उपलब्ध करावें।
8. आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ.8(1)आ.प्र.एवं सहा/बाढ़/2024/राजकाज/8981275 दिनांक 16.07.2024 में दिये गये निर्देशानुसार एसडीआरएफ नोर्म्स को ध्यान में रखकर नियमानुसार कार्यवाही करें।
9. कार्यकारी ऐजेन्सी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व इस कार्यालय को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध मरम्मत एवं संधारण मद में उपलब्ध बजट राशि का उपयोग लिये जाने के पश्चात् ही एसडीआरएफ मद का उपयोग करेंगे।
10. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूरी जिम्मेदारी होगी कि वे एस.डी.आर.एफ. में अनुमत कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करे।
11. पुनः यह सुनिश्चित कर ले कि उपरोक्त स्वीकृत कार्य उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदित है, उक्त कार्यों में कोई भी नव निर्माण का कार्य शामिल नही है, कोई भी कार्य डिफेक्ट लाईबिलीटी अवधि मे नही है, उक्त कार्यो के कार्यादेश पूर्व में जारी नही किये गये है एवं उक्त कार्य बाढ/अत्यधिक वर्षा से मानसून वर्ष 2024 में क्षतिग्रस्त हुए कार्य है, जिनकी तात्कालिक मरम्मत करवाया जाना आवश्यक है।
12. स्वीकृत कार्य इसी वित्तीय वर्ष मे पूर्ण किये जाने है व आंवटित राशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना है तथा देनदारियां आगामी वित्तीय वर्ष में ले जाने पर उनका भुगतान कार्यकारी संस्था द्वारा स्वयं के बजट मद से किया जायेगा।
13. विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

क्रमांकः- सहा./बाढ़/क्षति.परि/2024/3405-16 दिनांक 25.10.24

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान शासन सचिव आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर।
3. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग सवाई माधोपुर।
4. उप जिला कलेक्टर खण्डार/मलारना डूंगर/चौथ का बरवाड़ा/सवाई माधोपुर।
5. तहसीलदार खण्डार/मलारना डूंगर/चौथ का बरवाड़ा/सवाई माधोपुर।
6. जिला जनसम्पर्क अधिकारी सवाई माधोपुर।

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

# कार्यालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर(राज0)

सहायता अनुभाग रूम नं. 12 कलक्ट्रेट सभा

email Id-oicreliefswm@gmail.com

क्रमांकः– सहा./बाढ़/क्षति.परि/2024/ 1311

दिनांकः–20.05.2025

**श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव,**
**आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,**
**राजस्थान जयपुर।**

विषयः– वर्ष 2024–25 में क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के संबंध में आवंटित बजट का उपभोग के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वर्ष 2024–25 में 31 मार्च तक इस जिले द्वारा क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों से संबंधित बिल ट्रेजरी भेजे गये थे, लेकिन वित्तीय वर्ष समाप्ति के कारण ट्रेजरी द्वारा बिल को रिजेक्ट या वापस कर दिये गये थे। उन सभी बिलों के संबंध में सूचना निम्न प्रारूप में सादर प्रेषित हैः–

| क्र.सं. | वित्तीय स्वीकृति | बजट मद | आवंटित बजट | उपयोग बजट | बजट मांग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10507319/14.9.2024 | 2245–02–122–02–01–21 | 17.46 | 0 | 1690215 |
| 2 | 12185632/03.12.2024 | 2245–02–122–02–01–21 | 25.13 | 0 | 2441869 |
| 3 | 10507317/14.09.2024 | 2245–02–106–08–01–21 | 220.57 | 8240863 | 7417525 |
| 4 | 12185644/03.12.2024 | 2245–02–106–08–01–21 | 131.20 | 0 | 13120000 |
| 5 | 12913959/10.01.2025 | 2245–02–106–08–01–21 | 13.00 | 0 | 1033508 |
| 6 | 10507318/14.09.2024 | 2245–02–107–02–01–21 | 262.00 | 0 | 26200000 |
| 7 | 12185649/03.12.2024 | 2245–02–107–02–01–21 | 56.00 | 0 | 5600000 |
| 8 | 12913991/10.01.2025 | 2245–02–107–02–01–21 | 46.00 | 0 | 4600000 |
| योगः– | | | **771.36** | **8240863** | **62103117** |

(संजय शर्मा)
अति0 जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर